

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Store Keeper in level-2 (Rs.19,900-63,200/-) in the pay matrix in Central Ground Water Board with eight years regular service in the grade.</p> <p>Training: Two weeks training on material handling, storekeeping and stores accounting Level-2 from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level recognised Institute.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman;</p> <p>2. Superintending Engineer, Central Group Water Board - Member; and</p> <p>3. Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member.</p>	Not applicable.

[F.No.A.31013/03/2019/GWE]
SANTANU RAKSHIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

सा.का.नि.357.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चित्रकार) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में चित्रकार पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चित्रकार) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .—** वह व्यक्ति -

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चित्रकार	1*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹.56100-177500)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति: ऐसे प्रधान चित्रकार और मानचित्रकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900/-) में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राष्ट्रीय भूमिगत प्रशिक्षण और शोध संस्थान, रायपुर से चित्रकार के कार्य की जागरूकता में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1: संबन्धित ग्रेड या पद में विहित अर्हता सेवा के अधिकारी द्वारा समाप्ती की तारीख के संदर्भ में प्रोन्नति की योग्यता सूची को तैयार कर लिया जाएगा।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष
2. अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल शक्ति मंत्रालय, -जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	-सदस्य

विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
1. सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-अध्यक्ष
2. निदेशक या उपसचिव (भूमिगत जल स्थापन), -जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	-सदस्य
3. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -	-सदस्य

[फा. सं. ए.31011/10/2017/जी डब्ल्यू ई]

शांतनु रक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 2019

G.S.R.357.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Artist) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Artist) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, the Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Artist	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level-10 (Rs.56100- 177500/-) in the pay matrix	Selection post	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Chief Draftsman and Cartographer in level-7 in the pay matrix (Rs.44,900/-) in Central Ground Water Board with three years regular service in the grade and having successfully completed two weeks Training on awareness of work of Artist from Central Ground Water Board, National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.</p> <p>Note 1.- The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1.Chairman or Member,Union Public Service Commission - Chairman; 2. Chairman or Member, Central Group Water Board - Member; 3.Joint Secretary (Administration), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee: 1. Member, Central Ground Water Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary.</p>

[F.No.A.31011/10/2017/GWE]

SANTANU RAKSHIT, Under Secy.